NCL सी.एस.आर के अंतर्गत SCMS द्वारा संचालित नवागंतुक शिक्षु (FRESHER CUM APPRENTICESHIP) कौशल विकास प्रशिक्षण कार्यक्रम

निगमित सामाजिक दायित्वों के निर्वहन हेतु और निकट क्षेत्र के समुदायों के सतत विकास की दृष्टि से, भारत सरकार की मिनी रत्न कंपनी, नॉर्दर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड (NCL), ने खनन क्षेत्र में स्थानीय युवाओं के लिए विभिन्न कौशल विकास प्रशिक्षण कार्यक्रमों का संचालन करने के लिए स्किल काउंसिल फॉर माइनिंग सेक्टर (SCMS), को अधिकृत किया है ताकि युवाओं के रोजगारपरक कौशल को बढ़ाया जा सके और "राष्ट्रीय कौशल योग्यता दिशानिर्देश" (NSQF) के अनुसार प्रमाणित किया जा सके।

इसलिए SCMS उन इच्छुक युवाओं से ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित करता है जो उत्तर प्रदेश और मध्यप्रदेश के निवासी हैं और जो निम्नलिखित ट्रेड्स के लिए, निर्धारित योग्यताओं और अन्य मापदंडों को पूरा करते हैं:-

माइनिंग ट्रेड्स	सीट	योग्यता	प्रशिक्षण अवधि घंटे / माह	अन्य शर्तें
HEMM Mechanic	120	12वीं पास	1050 घंटे/ 6 माह	आयु : 18 वर्ष से 24 वर्ष तक (एस.सी / एस.टी के लिए 5 साल की छूट यानि अधिकतम 29 साल तक, ओ.बी.सी (नॉन क्रीमी लेयर) के लिए 3 साल यानी उनके लिए आरक्षित पद के लिए अधिकतम 27 साल तक)
Mine Electrician	120	12वीं पास	1050 घंटे/ 6 माह	
Mine Welder	120	10वीं पास	1050 घंटे/ 6 माह	
Data Entry Operator	120	10वीं पास	875 घंटे/ 5 माह	

प्रशिक्षण कार्यक्रम को सफलतापूर्वक पूरा करने वाले सभी उम्मीदवारों को अप्रेंटिसशिप अधिनियम,1961 के तहत वृत्तिका सहित शिक्षुता प्रशिक्षण कार्यक्रम प्रदान किया जा सकता है, साथ ही साथ SCMS द्वारा निजी क्षेत्र के उद्योगो में प्लेसमेंट सहायता भी प्रदान की जा सकती है।

1. सामान्य शर्तें और प्राथमिकताएँ:

1.1 पहली प्राथमिकता परियोजना प्रभावित व्यक्तियों (पीएपी) और परियोजना / साइट / खानों / क्षेत्र मुख्यालय / एनसीएल के मुख्यालय / कम्पनी मुख्यालय के 25 किलोमीटर के दायरे में रहने वाले अभ्यर्थियों को दी जाएगी। दूसरी प्राथमिकता जिला सिंगरौली (म.प्र.) और सोनभद्र (उ.प्र.) के अभ्यर्थियों को दी जाएगी और उसके बाद प्राथमिकता इन 2 राज्यों के अन्य हिस्सों (NCL संचालित प्रदेशों) के अभ्यर्थियों को दी जाएगी

1.2 सफल प्रशिक्षण प्राप्त करने एवं SCMS द्वारा प्रमाणित होने पर, NCL अप्रेंटिसशिप अधिनियम के अनुसार प्रशिक्षुओं को अप्रेंटिसशिप दिये जाने पर विचार किया जा सकता है। अप्रेंटिसशिप कार्यक्रम के दौरान मासिक वृत्तिका दिया जायेगा ।

1.3 उम्मीदवार अपनी पसंद के केवल एक ट्रेड के लिए आवेदन कर सकते हैं। एक से अधिक आवेदन करने पर आवेदन अस्वीकृत कर दिया जाएगा। अधिक जानकारी और पंजीकरण प्रक्रिया के लिए वेबसाइट www.nclcil.in / www.skillcms.in या www.singrauli.nic.in पर जाकर देख सकते हैं। आवेदकों को दिए गए लिंक के माध्यम से ऑनलाइन पंजीकरण और आवेदन करना होगा।

1.4 NCL कर्मचारी के वार्ड को इस प्रशिक्षण योजना के अंतर्गत योग्य नहीं माना जाएगा।

1.5 ऑनलाइन आवेदन जमा करने की प्रारंभिक तिथि 15 अक्टूबर 2020 ,शाम 5 बजे से शुरू होगी और अंतिम तिथि 15 नवंबर 2020, शाम 5 बजे तक होगी। अपूर्ण, विलंबित आवेदन या/और सहायक दस्तावेज नहीं होने पर उम्मीदवार को कोई भी सूचना दिये बिना इसे अस्वीकार कर दिया जाएगा।

1.6 किसी भी तकनीकी खराबी और स्पष्टीकरण के लिए, **info@4qlearning.com** या **ihoque2019@gmail.com** पर ईमेल करें या सुबह 10:30 बजे से शाम 06:30 बजे के दौरान **07314022441** या **9643013482** पर कॉल करें।

2. आरक्षण कोटा के साथ विभिन्न ट्रेडों में रिक्तियों का विवरण

क्रमांक	ट्रेड्स	अनारक्षित	ओबीसी (एनसीएल)	एससी	एसटी	कुल संख्या
01.	एचईएमएम मैकेनिक	61	18	17	24	120
02.	माइन इलेक्ट्रीशियन	61	18	17	24	120
03.	माइन वेल्डर	61	18	17	24	120
04.	डाटा एंट्री ऑपरेटर	61	18	17	24	120

2.1 सामान्य और ओ.बी.सी उम्मीदवारों के लिए निर्धारित योग्यता राज्य / केंद्र बोर्ड से मान्यता प्राप्त संस्थान से केवल पूर्णकालिक, नियमित पाठ्यक्रम के साथ न्यूनतम 50% अंक और आरक्षित पदों हेतु अनुसूचित जाति / अनुसूचित जनजाति के उम्मीदवारों के लिए कुल 45% अंक होगी।

2.2 निर्दिष्ट तिथि-: उम्मीदवार के पास 31/08/2020 तक निर्धारित योग्यता, आयु आदि होनी चाहिए।

2.3 आयु-: 31.08.2020 के अनुसार न्यूनतम 18 वर्ष और अधिकतम 24 वर्ष । (एस.सी / एस.टी के लिए 5 साल की छूट यानि अधिकतम 29 साल तक, ओ.बी.सी (नॉन क्रीमी लेयर) के लिए 3 साल यानी उनके लिए आरक्षित पद के लिए अधिकतम 27 साल तक)

3. अन्य नियम और शर्तें निम्नलिखित हैं (सविस्तार वर्णन)

3.1 आवेदन करने की प्रक्रिया:
केवल ऑनलाइन आवेदन ही स्वीकृत किए जाएंगे।
आवेदन करने से पहले उम्मीदवारों के पास एक सक्रिय ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर और आधार कार्ड होना आवश्यक है, जो कम से कम तीन वर्षों के लिए वैध होना चाहिए।

3.2 ऑनलाइन आवेदन पत्र भरने के चरण:

3.2.1 उम्मीदवारों को **www.nclcil.in / www.skillcms.in या singrauli.nic** इनमें से कोई भी वेबसाइट पर जाकर "एनसीएल में खनन कौशल केंद्र के माध्यम से प्रशिक्षण" के लिए ऑन-लाइन आवेदन पर क्लिक करना होगा और फिर विस्तृत विवरण को ध्यान से पढना होगा और फिर **"अप्लाई"** पर क्लिक करना होगा।

3.2.2 अप्लाई आपको आवेदन प्रारूप (द्विभाषी) में ले जाएगा और उम्मीदवारों को सभी संबंधित योग्यताओं और अन्य विवरणों को अपलोड करने के माध्यम से अपना प्रोफाइल पूरा करना होगा। कृपया नीचे दिए हुए दस्तावेजों की प्रतिलिपि तैयार रखे और जहाँ पर भी मांगा जाये वहां पर अपलोड करे।

3.2.3 आवेदक की पासपोर्ट साइज रंगीन फोटो (छह महीने से अधिक पुरानी नहीं हो)

3.2.4 जन्मतिथि के प्रमाण के रूप में दसवीं कक्षा का प्रमाण पत्र।

3.2.5 योग्यता हेतु 10वीं कक्षा का अंकपत्र

3.2.6 योग्यता हेतु 12वीं कक्षा का अंकपत्र

3.2.7 आधार कार्ड की प्रति।

3.2.8 गरीबी रेखा से नीचे का कार्ड/प्रमाणत्र, यदि लागू हो

3.2.9 यदि लागू हो तो वैध जाति प्रमाण पत्र की (सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी) प्रति।

3.2.10 "परियोजना प्रभावित व्यक्ति" के समर्थन में प्रमाण पत्र (एनसीएल द्वारा जारी)।

3.2.11 निवासी प्रमाण पत्र (उत्तर प्रदेश / मध्य प्रदेश)।

3.2.12 किसी भी एक दस्तावेज के नहीं होने पर , आवेदन को अस्वीकार कर दिया जाएगा।

3.2.13 उम्मीदवार अपने "ऑनलाइन आवेदन पत्र" और अपनी दी गयी सभी जानकारी की पुष्टी कर ले ताकि दी गयी जानकारी गलत न हो। किसी भी गलत जानकारी के लिये उम्मीदवार खुद जिम्मेदार होगा।

3.2.14 ऑनलाइन आवेदन के सफल जमा होने पर, उम्मीदवारों को उनके ईमेल आईडी और मोबाईल न. पर पावती मिल जाएगी।

4. अन्य नियम और शर्तें

4.1 उम्मीदवारों को सलाह दी जाती है कि वे आवेदन पत्र जमा करने से पहले शैक्षणिक योग्यता का ब्यौरा, निर्धारित पात्रता मानदंड और सामान्य नियम एवं शर्तों के लिए पूरा विज्ञापन ध्यान से पढ़ें ।

4.2 ऊपर दिए गए ट्रेडों में कोयला खदान क्षेत्र में संचालन और रखरखाव गतिविधियों में आरंभ होने वाली प्रशिक्षणें शामिल हैं।

4.3 ओबीसी श्रेणी के लाभ का दावा करने के लिए, उम्मीदवार को सरकार द्वारा निर्धारित प्रोफार्मा में एक नवीनतम जाति प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा। जिसमें अन्य बातें के साथ-साथ, विशेष रूप से यह उल्लेख होगा कि उम्मीदवार दिनांक 08.09.1993 के ओएम सं. 36012/22/93 अनु. (एससीटी) , कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग, भारत सरकार की अनुसूची के कॉलम 3 में उल्लिखित व्यक्तियों/वर्गो से संबंधित नहीं है। जो उम्मीदवार ओबीसी श्रेणी से संबंधित हैं, लेकिन क्रीमी लेयर के अंतर्गत आते हैं वे ओबीसी आरक्षण के लाभ के हकदार नहीं हैं। तदनुसार, ऐसे उम्मीदवार प्रशिक्षण पदों के लिए आवेदन करने का विकल्प चुन सकते हैं, बशर्ते वे सामान्य उम्मीदवारों के लिए लागू आयु मानदंडों को पूरा करते हों और उनकी श्रेणी को "सामान्य " के रूप में दर्शाते हों।

4.4 उम्मीदवार की निर्धारित योग्यता और आयु 31.08.2020 के अनुसार होनी चाहिए।

4.5 चयन प्रक्रिया के लिए बुलाए गए आवेदकों को कोई टीए / डीए नहीं दिया जाएगा।

4.6 स्किलिंग कार्यक्रम के तहत शामिल होने से पहले उम्मीदवारों को या तो NCL अस्पताल द्वारा या किसी अन्य सरकारी अस्पताल/डॉक्टर द्वारा जारी मेडिकल फिटनेस प्रमाणपत्र जमा करना होगा। केवल फिट उम्मीदवारों का नामांकन लिया जाएगा।

4.7 प्राप्त आवेदनों में से मेरिट सूची तैयार की जाएगी। सामान्य शर्तों और प्राथमिकताओं के ऊपर के बिंदु (1) के तहत उल्लिखित प्राथमिकताओं को समायोजित करने के बाद, बाकी सीटों के लिए योग्यता केवल 10 वीं / 12 वीं (जैसा लागू हो) में प्राप्त अंकों के आधार पर तैयार की जाएगी और यदि दो या अधिक उम्मीदवार के अंक समान हैं तो फिर उम्र में सबसे बड़े (जन्म के अनुसार कक्षा 10 वीं प्रमाण पत्र में उल्लिखित) उम्मीदवार को वरीयता दी जाएगी (योग्यता में ऊपर रखा जाएगा)।

4.8 उम्मीदवारों को किसी भी परिस्थिति में NCL के किसी भी प्रतिष्ठान के कर्मचारी के रूप में NCL में शामिल नहीं किया जाएगा और ना ही वे किसी भी मामले में NCL में रोजगार के लिए कोई दावा करेंगे। वह सभी उम्मीदवार (नाबालिग के मामले में माता-पिता / अभिभावक) जो की शॉर्टलिस्ट किए जा चुके है उनको एक वैध नोटरी एफिडेविट प्रस्तुत करना होगा जिसमें यह लिखा हो कि वे किसी भी मामले में NCL में रोजगार के लिए कोई दावा नहीं करेंगे, चाहे जो भी हो। (प्रशिक्षण के लिए शामिल होने के समय प्रारूप दिया जाएगा)।

4.9 उम्मीदवारों को वैध / सक्रिय मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी देना होगा, जो भविष्य के सभी सूचना और अन्य संचारों के लिए कम से कम अगले तीन वर्षों के लिए वैध / सक्रिय होना चाहिए, क्योंकि अग्रिम संवाद केवल ईमेल या एसएमएस अलर्ट के माध्यम से होगा। उम्मीदवारों को सलाह दी जाती है कि वे

अपने सही ईमेल आईडी / मोबाइल नंबर का उल्लेख करें और अपने ईमेल / एसएमएस संदेशों की जांच करते रहें क्योंकि भविष्य की सभी जानकारियाँ केवल ईमेल या एसएमएस के माध्यम से दिए जाएंगे।

4.10 उम्मीदवारों को सलाह दी जाती है कि वे समय-समय पर एससीएमएस की वेबसाइट अर्थात www.skillcms.in देखते रहें क्योंकि प्रशिक्षण के बारे में सभी भावी पत्राचार और नवीनतम जानकारी वेबसाइट या ईमेल या एसएमएस अलर्ट पर दिए जाएंगे।

4.11 ऐसे आवेदन / पंजीकरण जो गलत / अपूर्ण हैं या किसी अन्य प्रकार /रूप में प्राप्त किए गए हैं, या पात्रता मानदंड को पूरा नहीं कर रहे हैं और /या जो समय पर आवेदन जमा करने की अंतिम तिथि के बाद प्राप्त किए गए हैं तो उन उम्मीदवारों को "योग्य" नहीं माना जाएगा और उम्मीदार को बिना कोई सूचना दिए अस्वीकार कर दिया जायेगा।

4.12 आवेदन, जो अपूर्ण हैं/ आवश्यक दस्तावेजों के साथ अपलोड नहीं किए गए हैं और किसी भी नियम और शर्तों के अनुरूप नहीं हैं, उस उम्मीदवार को कोई भी सूचना दिए बिना आवेदन अस्वीकृत कर दिया जाएगा।

4.13 किसी भी प्रकार का पक्षप्रचार उम्मीदवार को अयोग्य घोषित करेगा। SCMS द्वारा ऊपर बताए गए मानदंडों के अनुसार चयन प्रक्रिया सख्ती से की जाती है और उम्मीदवारों को सलाह दी जाती है कि वे किसी भी असामाजिक तत्वों के बहकावे में न आएं।

4.14 तथ्यों का कोई भी दमन या जाली / गलत प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने से उम्मीदवार को कोई नोटिस दिए बिना चयन प्रक्रिया के किसी भी चरण में उनकी उम्मीदवारी को अस्वीकृत कर दिया जाएगा।

4.15 इस कौशल कार्यक्रम से संबंधित कोई भी विवाद केवल सिंगरौली, म.प्र के /न्यायालय/न्यायाधिकरणों के अधीन होगा।

4.16 SCMS के पास चयन के किसी भी वैकल्पिक माध्यम को अपनाने का अधिकार सुरक्षित है।

4.17 NCL के परामर्श से SCMS के विवेकानुसार शैक्षणिक, पात्रता और चयन मानदंडों में कोई छूट दी जा सकती है।

4.18 प्रशिक्षण अवधि के दौरान उम्मीदवारों को कोई भी आवास, भोजन, अस्थायी आवास या परिवहन प्रदान नहीं किया जाएगा।

4.19 अनुशासन या आचरण का पालन नहीं करने वाले और प्रशिक्षण अवधि के दौरान कक्षाओं से अनुपस्थित होने वाले अभ्यर्थी, SCMS के विवेकाधिकार पर किसी भी समय प्रशिक्षण से हटाए जा सकते है।

5. उम्मीदवारी की अस्वीकृति

5.1 उम्मीदवारों से अनुरोध है कि आवेदन करने से पहले सभी दिशा निर्देशों को ध्यान से और अच्छी तरह से पढ़ें। उनके आवेदन अन्यथा निम्नलिखित कारणों में से एक या अधिक पर अस्वीकार कर दिए जाएंगे :

5.2 अधूरा आवेदन और अनिवार्य प्रमाण पत्र के बिना जहां कहीं भी मांगा गया हो ।

5.3 NCL और उसकी सहायक कंपनियों के कर्मचारियों के पारिवारिक सदस्य ।

5.4 उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश के निवासी के अलावा अन्य उम्मीदवार।

5.5 31/08/2020 तक प्रशिक्षण पाने के लिए निर्धारित न्यूनतम पात्रता मानदंड / योग्यता नहीं है।

5.6 अधिक आयु के या कम आयु के अभ्यर्थी।

5.7 अभ्यर्थी के नाम किसी बहिस्कृत सूची में मिलता है/ या कोई आपराधिक कार्यवाही चल रही है।

5.8 सामान्य नियम और शर्त में उल्लिखित कोई अन्य अनियमितता।

5.9 केवल एक ही आवेदन पर विचार किया जाएगा। एक से अधिक आवेदन वाली उम्मीदवारी में ऐसे उम्मीदवारों को बिना कोई सूचना दिए इन्हें सीधा निरस्त कर दिया जाएगा।

ऑनलाइन आवेदन प्रारंभ होने की तिथि: 15 अक्टूबर 2020 ,शाम 5 बजे 2020

ऑनलाइन आवेदन जमा करने की अंतिम तिथि: 15 नवंबर, शाम 5:00 बजे

किसी भी प्रश्न / तकनीकी समस्या और स्पष्टीकरण या ऑनलाइन आवेदन भरने में मदद के लिए उम्मीदवार किसी भी कार्य दिवस पर सुबह 10:30 बजे से शाम 6:30 बजे के बीच निम्नलिखित को संपर्क कर सकते हैं।

Email - **info@4qlearning.com**
Phone Number - **07314022441**

or

Email - **ihoque2019@gmail.com**
Phone Number - **9643013482**

☐ मैंने इन सभी दिशानिर्देशों को सही तरीके से पढ लिया है और मैं इनका पालन करूंगा

Submit